"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर 2012—अग्रहायण 9, शक 1934

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक/पं.-137/पंग्राविवि/22/2012/1657.—छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) सहपठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 27 के खण्ड (दो) में, शब्द "स्थिति थी" के पश्चात् पूर्ण विराम "." के स्थान पर कोलन ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 27 के खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु लोकहित में, जिले के भीतर की एक जनपद पंचायत से दूसरी जनपद पंचायत में किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण, संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा तथा ऐसे स्थानांतरण की दशा में, स्थानान्तरित कर्मचारी की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी:

परन्तु यह और कि, लोकहित में, जिला पंचायतों में कार्यरत पंचायत सेवाओं के किसी कर्मचारी का स्थानांतरण, आयुक्त सह संचालक, पंचायत द्वारा राज्य के एक जिला पंचायत से दूसरी जिला पंचायत में किया जा सकेगा तथा ऐसे स्थानान्तरण की दशा में, स्थानान्तरित कर्मचारी की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2012

क्रमांक/पं.-137/पंग्राविवि/22/2012/1658.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पं.-137/पंग्राविवि/22/2012/1657, दिनांक 30-11-2012 से संबंधित अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, उप-सचिव.

Raipur, the 30th November 2012

NOTIFICATION

No./P-137/PGVV/22/2012/1657.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Panchayat Service (Recruitment and General Conditions of Services) Rules, 1999, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In clause (ii) of rule 27, for the full stop "." after the word "appointment" the colon ":" shall be substituted.

2. After clause (ii) of rule 27, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that in the public interest the Chief Executive Officer of the concerned Zila Panchay may transfer any employee from one Janpad Panchayat to another Janpad Panchayat within the district and in case of such transfer, the seniority of the transfered empoloyee shall not be affected:

Provided further that in the public interest the Commissioner cum Director, Panchayat may transfer any employee of Panchayat services, working with the Zila Panchayat, from one Zila Panchayat to another Zila Panchayat in the state and in case of such transfer, the seniority of the transferred employee shall not be affected."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DHANANJAY DEWANGAN, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.